भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1866

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019/13 अग्रहायण, 1941 (शक)

बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, 2016

1866. श्री संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, 2016 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के अंतर्गत पीड़ित बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कितना बजटीय आवंटन किया गया है;

(ख) वर्ष 2016 से बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय क्षेत्र योजना, 2016 के अंतर्गत पीड़ितों के पुनर्वास हेतु वर्ष-वार कितनी बजटीय राशि खर्च की गई है; और

(ग) योजना के प्रावधानों के अनुसार बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कितने राज्य अपने-अपने जिलों को 10,00,000 रु. की राशि प्रदान कर रहे हैं और वर्ष 2016 से वास्तव में प्रदान की गई राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, 2016 के लिए 33.00 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया है।

(ख): वर्ष 2016 से, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सीएसएस, 2016 के अंतर्गत वर्ष-वार खर्च निम्नानुसार है:-

लाख रुपये में

2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
260.70	664.50	253.50	05.00 (आदिनांक)

(ग): बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, 2016 के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर जिलाधीश के नियंत्रण में न्यूनतम 10 लाख रुपये की स्थायी राशि के साथ एक बंधुआ श्रमिक पुनर्वास निधि बनाई जाती है। इस निधि का प्रयोग मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। संबंधित जिलाधीश द्वारा इस संचित निधि से प्रत्येक बंधुआ श्रमिक को 20,000/- रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस राशि की पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाती है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए जिलों को निधि प्रदान करने का दायित्व राज्य सरकार पर है तथा केंद्र सरकार द्वारा ऐसे कोई आंकड़ें नहीं रखे जाते।

****